International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 03(II), July - September, 2023, pp. 136-140

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की पृष्ठभूमि एवं विभिन्न प्रतिक्रियाओं का एक अध्ययन (बिहार सिवान जिले के विशेष सन्दर्भ में)

वीरेन्द्र प्रसाद यादव*
प्रो0 (डॉ0) महालक्ष्मी जौहरी**

सार

प्लेटो ने कहा करता था कि महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है और उन्हें न्यायालय में गवाही देने तक का भी अधिकार नहीं है क्योंकि वे कहता है कि प्रजा में कभी आत्माएं भी आ गई तो स्त्रियों में कभी आत्मा आता ही नहीं है। (कल्पा) Lawes *में लिख रहा है कि किसी न्यायालय न्यायाधीश को स्त्रियों के न्याय पर विचार ही नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें स्त्री को सत्य का ज्ञान नहीं है। उन्हें विवके नहीं क्योंकि उसमें आत्मा ही नहीं है। जब प्लेटो ने ऐसा लिखा तो लगभग सारे देश के दार्शनिकों ने लिखना शुरू किया कि महिलाएं सिर्फ कुर्सी और मेज की तरह है। जब चाहे इस्तेमाल करो नहीं तो फेंक दो। वही हमारे भारत में महिलाओं से सम्बन्धित पूछा गया कि भारत में महिलाएं गुरूकुल शिक्षा व्यवस्था में या अन्य पदों पर आगे क्यों है। उन्होंने उत्तर दिया कि भारत में महिलाएं आत्मा से बढ़कर परमात्मा में निहित महिलाओं को देखा जाता है। क्योंकि भारत के सभी शास्त्रों को देखने से भी शाबित होता है क्योंकि महिलाएं पुरूष से ऊँची है। उसमें ईश्वरीय गुण है और आज के वैज्ञानिक युग की बात करे तो महिलाएं तय करती है बच्चा होगा कि नहीं, पुरुष का कोई महत्व नहीं। स्त्री ईश्वर की सबसे नजदीक है। हमारे शास्त्रों में ऐसे कई सूत्र है कि जब समाज को पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो महिलाओं से पूछो कि क्या करना है ? क्योंकि उनको क्रियात्मक ज्ञान ज्यादा उनको पता है कि क्या करना है जिससे कुछ हो जाता है, ऐसा ज्ञान महिलाओं में ज्यादा है। क्रियात्मक ज्ञान पुरुषों में फालतू का ज्ञान होता है। इसी तरह स्त्री के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती क्योंकि जीवन हम सबके साथ शादी के बाद स्त्री नहीं है वे जिन्दगी बेकार है। ऐसा उदाहरण हमारे मन्दिरों में देखने को मिलता है। कहीं–कहीं तो मन्दिरों के पुजारी ने बिना स्त्री और पुरुष के साथ नहीं होने पर अन्दर प्रवेश नहीं करने देते हैं और कहा जाता है कि जीवन स्त्री के आने के बाद पवित्र होता है। उनके पहले वे लम्पट होता है।*

शब्दकोश: *गुरूकुल शिक्षा व्यवस्था, ईश्वरीय गुण, प्रतिसर्वथा उपराम, प्रबल प्रतिक्रिया।*

प्रस्तावना

हमारा समाज जो स्त्रियों के प्रतिसर्वथा उपराम था, अब उन प्रश्नों पर बड़े गौर से विचार करने लगा है। स्त्रियों के बंधनों को काट देने के लिए अब चारों तरफ से आवाजे आने लगी है। प्रत्येक पढ़ा–लिखा आदमी स्त्रियों की आजादी के हक में सोचने लगा है। गरीब घरों के लोग भी लड़कियों को पढ़ाने लगे हैं। स्त्रियों की हमारे समाज में अब तक जो स्थिति रही है, उसके विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया हो रही है और यह प्रतिक्रिया ऐसे आधी के वेग से हो रही है कि पुराने विचारों को जड़ से उखाड़ फेके दे रही है। इस प्रतिक्रिया के युग में पुराने विचारों वालो का भी बिलकुल अभाव नहीं है। प्रतिक्रिया की प्रबलता को देखकर वे लोग घबरा उठे हैं। वे पुराने

* शोधार्थी, पी.के. विश्वविद्यालय, करैरा, शिवपुरी, म.प्र.।
** समाजशास्त्र विभाग, पी.के. विश्वविद्यालय, करैरा, शिवपुरी, म.प्र.।

विचारों को और ज्यादा जोर से चिपट गए हैं। मौके–बे–मौके वे हरेक पुराने विचार की तरफदारी करते हैं। उनकी समझ में स्त्रियाँ इस लायक हैं ही नहीं कि उन पर एक मिनट के लिए भी विश्वास किया जा सके। उनके मत में स्त्रियों को जकड़कर रखना ही उन्हें ठीक रास्ते पर चलाने का एकमात्र साधन है। गनीमत यहीं है कि ऐसे लोगों की संख्या प्रतिदिन कम हो रही है। पुरानी लकीर को पीटने वालों के खिलाफ नए विचारों में उड़ने वाले इतने आगे बढ़ गए है कि वे हरेक पुरानी बात से हरेक पुराने विचार से तंग आ गए जान पढ़ते हैं। वे नई बात को नए विचार को, नई लहर को नई लहर को खोजते से फिरते हैं। वे हर एक पुराने विचार का मजाक उडाते हैं। उनके समझ में कोई बात सिर्फ इसलिए छोड़ देने लायक है क्योंकि वह पुरानी है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि प्रतिद्रव्य भी कोई आदर्श हो सकता है।

स्त्रियों के साथ अब तक जैसा बर्ताव होता रहा है, उसकी जब तक पुरी प्रतिक्रिया नहीं हो लेती तब तक शायद स्वभाविक अवस्था भी नहीं आ सकती। हमें स्त्रियों को आजाद स्थिति में लाने के लिए ऊँची से ऊँची और जोरदार से जोरदार आवाज उठानी होगी। हम जिस आजादी को चाहते हैं, वह भारत की स्त्रियों को किसी समय प्राप्त थी। अपनी चतुर्मुख उन्नति करने की उन्हें पुरी सुविधा थी। पुरुष तथा स्त्री में जिस प्रकार के इस समय भेद समझे जाते हैं, इस प्रकार के भेद उस समय नहीं थे। आजादी की दृष्टि से वैदिक युग की ओर बीसवीं सदी की स्त्री में रती भर फरक नहीं था। स्त्रियों की स्थिति भारत वर्ष में बहुत पीछे जाकर गिरी। अब हम स्त्रियों की स्थिति में वर्तमान गिरावट को ही भारत में स्त्री की असली स्थिति समझने लगे है और इसमें लेने लायक कुछ नहीं मिलता। मैं समझता हूँ उस समय जब कि समाज एकदम स्त्रियों की प्रश्नों की तरफ ध्यान देने लगा है और कुछ हद तक हिंसा में कमी आ रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग को वर्ष 2020 में पिछले छह सालों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की सबसे अधिक शिकायतें मिली है। एनसीडब्ल्यू के आँकड़े के अनुसार 23.722 शिकायतों में से करीब एक चौथाई घरेलू हिंसा के मामलों की है। राष्ट्रीय महिला आयोग के आँकड़े के मुताबिक सर्वाधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश से आई हैं। उत्तर प्रदेश में 11.872, दिल्ली में 2.635, हरियाणा में 1266, बिहार में 1384 और महाराष्ट्र में 1188 मामले दर्ज हुए है। इनमें से कुल 5,294 शिकायतों में से 7708 शिकायते गरिमा के साथ जीवन के अधिकार के तहत की गई हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के अनुसार आर्थिक असुरक्षा, तनाव के बढ़ते स्तर चिंता, वित्तीय परेशानियां और परिवार से कोई भावनात्मक सहयोग नहीं मिलने चलते वर्ष 2020 में घरेलू हिंसा के मामले बढ़ गए है। उन्होंने बताया की दम्पती के लिए आजकल घर ही दफ्तर बन गया है। बच्चों के भी स्कूल और कॉलेज घर से ही खुल गए है। ऐसी सूरत में एक ही समय में महिलाएं घर और दफ्तर साथ–साथ संभाल रही हैं। इसलिए छह साल में सर्वाधिक शिकायतें पिछले साल ही दर्ज किए गए है। इसे पहले वर्ष 2014 में 33,906 शिकायतें दर्ज की गई थी। पीपुल्स अगेंस्ट इन इंडिया की प्रमुख महिला अधिकारी कार्यकर्ता योगिता मयाना ने कहा कि ज्यादा संख्या में शिकायते मिलने के पीछे महिलाओं में शिकायत करने को लेकर बनी जागरूकता भी एक बजह हो सकता है। उन्होंने कहा कि शोशल मीड़िया की बजह से घरेलू हिंसा की शिकायतों के मामले बढ़े है, अब महिलाएं आवाज उठाती हैं और वे दबती रही है जो कि अच्छी बात हैं।

अंकिता भारद्वाज की रिपोर्ट

1.	घरेलू हिंसा	53.86%	घरेलू हिंसा वर्ष	
2.	दहेज प्रताड़ना	14.21%	वर्ष	संख्या
3.	बाल विवाह	10.55%	2016	212
4.	छेड़छाड़	1.08%	2017	325
5.	यौन शोषण	1.25%	2018	323
6.	मानसिक प्रताड़ना	10.25%	2019	268
7.	सम्पत्ति विवाद	1.67%	2020	221
8.	मानव तस्करी	0.21%	2021	82

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के विभिन्न प्रतिक्रियाएं

50 प्रतिशत महिलाओं ने कहा– खाना, दवा जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी घर वाले पैसे नहीं देते हैं।

बिहार सिवान जिला के घरेलू हिंसा से पीड़ित 50 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि अगर मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती तो जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। पैसे न होने से एक ऐसे रिश्ते को लंबे समय से झेलना पड़ता जहाँ रोजगार पीट होती थी। बच्चे की बजह से मजबूरन ऐसे व्यक्तियों के साथ रहना पड़ रहा है, जिससे हम सभी क्रूरता की सारी हदें तोड़ दी थी। क्योंकि आर्थिक रूप से मजबूत होने से कानून भी उन्हीं का साथ देता पैसे नहीं होने के कारण अनेक महिलाओं ने बुरी तरह से जाल में फंसे हुयी है और छटपटाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही हैं। ये समस्या बिहार सिवान जिले की उन महिलाओं की है जो घरेलू हिंसा का शिकार हुई और न चाहकर भी उसे झेलती रहीं। जिंदगी को लगभग नर्क कर देने वाले रिश्ते में बंधे रहने की सबसे एक बड़ी बजह बताई, आर्थिक स्वतन्त्रता न होना। बिहार सिवान जिले ही नहीं बल्कि भारत के उन विभिन्न राज्यों में ऐसी महिलाओं के लिए शेल्टर होम (आश्रम गृह) होना आवश्यक है, लेकिन जिंदगी गुजारना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में आर्थिक स्वतंत्रता सबसे बड़ी ताकत होती है। घरेलू हिंसा का शिकार ऐसी महिलाओं के लिए सरकार की ओर से कुछ आवश्यक जरूरतों को मुफ्त में देने की घोषणा करनी चाहिए जिससे इस समस्या को झेल सकें।

परिवार में मद्यपान एवं अन्य नशे की आदत परिवार में मद्यपान की आदत का दुष्प्रभाव सामान्यतः महिलाओं को ही अधिक भोगना पड़ता है। मद्यपान की स्थिति में व्यक्ति आक्रामक एवं उत्तेजित अवस्था में होता है अनेक बा रवह अपना आत्मसंयम खो देता है तथा अनुत्तरदायी कार्यों की ओर अग्रसर होता है। साथ ही मद्यपान की आदत अनुकूल परिस्थितियों को निर्मित कर हिंसा हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने के भी सहायक है।

न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब का प्रभाव

समाज द्वारा मान–मर्यादा व लाज–शर्म सम्बन्धी स्थापित प्रतिमानों, पारिवारिक प्रतिष्ठा, सामाजिक निन्दा का भय तथा पुलिस एवं न्यायालयीन पेचिदा प्रक्रियाओं के कारण घरेलू हिंसा के विरुद्ध हिंसा सम्बन्धी अनेक प्रकरण पुलिस में दर्ज ही नहीं किये जाते। न्याय प्राप्ति की चाह में पुलिस एवं न्यायालय में दर्ज प्रकरणों में बचाव पत्र के वकील द्वारा इस आशा के साथ कि प्रकरण में जितना विलम्ब होगा प्रकरण उतना कमजोर होगा, कानूनी खामियों का फायदा उठाकर प्रकरण को जानबूझकर लम्बित किया जाता है। साथ ही पुलिस एवं न्यायालय की प्रक्रिया एवं पेंचीदागियों के कारण भी प्रकरण में विलम्ब होता है। इस विलम्ब के परिणामस्वरूप पीड़ित पक्ष को वित्तीय हानि के साथ–साथ लम्बे समय तक अपमान सहना पड़ता है तथा पीड़ित पर सामाजिक दारे का एक दबाब निरन्तर बना रहता है।

पुलिस सम्बन्धी कार्यवाही प्रतिक्रिया

हिंसा के संदर्भ पुलिस कार्यवाही अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं कि सही समय पर पुलिस में दर्जगी घटना व अपराधी के सन्दर्भ में पूर्ण खुलना तथा जनता द्वारा पुलिस व्यवस्था को मिलने वाला जनसहयोगी व्यवस्था के प्रति जन आस्था तथा विश्वास पर निर्भर है। यदि पुलिस अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार एवं निष्ठावान है, वह पूर्ण प्रशिक्षित एवं व्यवहार कुशल है तथा यदि जनता में न्याय एवं सुरक्षा के प्रति विश्वास कायम करने में सफल है तो कोई कारण नहीं कि उसे जनसहयोग व समर्थन प्राप्त न हो। इसके विपरीत यदि पुलिस अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह है हिंसा के प्रकृति के अनुसार यदि वह पीड़ित की भावनाओं को समझने में असमर्थ है, भाषा में संतुलित प्रयोग के प्रति उदासीन है तथा दबाब लालची एवं लापरवाही में घटना के वास्तविक एवं उचित अनुसंधान स्थान पर तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत करती है तो निश्चित रूप से वह व्यवस्था के प्रति लोगों के विश्वास को कायम रखने में समर्थ नहीं हो सकती।

हिंसा की शिकार महिलाओं के प्रति समाज के विभिन्न वर्गों का व्यवहार

प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था एवं संगठन के उद्देश्य से अपने सदस्यों को प्रस्थिति एवं भूमिका प्रदान करती है। यह प्रस्थिति एवं भूमिका सामाजिक व्यवस्था के सुचारू संचालन एवं सामाजिक संतुलन को बनाये रखने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण होती है। इस प्रस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति विचार एवं मान्यताओं के अनुरूप होता है।

लिप्टन के अनुसार– ''सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है, उसी को उस व्यक्ति की प्रस्थिति कहा जाता है।''

अतः प्रस्थिति व्यक्ति को समाज में मिलने वाला एक सामाजिक मान्यता प्राप्त स्थान है, जिससे व्यक्ति की इस प्रतिष्ठा पर पड़ने वाला अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव न केवल समाज में उसकी स्थिति एवं भूमिका को प्रभावित करता है बल्कि उस व्यक्ति के प्रति समाज के अन्य सदस्यों के व्यवहार को भी प्रभावित करता है। महिलाओं के प्रति हिंसा की दृष्टि से यह तथ्य और भी महत्वपूर्ण हैं।

महिला हिंसा प्रकरण में की गई कार्यवाही सम्बन्धी विपरीत प्रतिक्रिया

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा सम्बन्धी अनेक प्रकरण जन–आलोचना, सामाजिक अपमान, प्रतिष्ठा का भय तथा अन्य सामाजिक कारणों से पुलिस में दर्ज ही नहीं किये जाते। यदि पीड़ित पक्ष द्वारा न्याय प्राप्ति हेतु प्रकरण के सम्बन्ध में पुलिस कार्यवाही की जाती है तो प्रतिक्रिया स्वरुप अनेक बार उन्हें विभिन्न विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना भी पड़ता है। हिंसक पक्ष द्वारा पीड़ित पक्ष को धमकाने व अन्य तरीकों से प्रकरण को प्रभावित करने की चेष्टा की जाती है, तथा पुलिस के साथ मिलकर अथवा राजनीतिक प्रभाव से प्रकरण वापसी हेतु पीड़ित पक्ष पर दबाब बनाया जाता है। अनेक बार स्वयं के रिश्तेदार सगे सम्बन्धी भी पुलिस कार्यवाही करने पर खानदान की इज्जत समाज में अपमान के भय से पीड़ित पक्ष के विरोधी हो जाते हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव

आज स्त्री की घर में कोई स्थिति अच्छी नहीं है। वह पर्दे में लिपटी रहती है, घर में रहती हुयी भी वह घर में नहीं दिखाई पड़ती परन्तु वेद में पर्दे को कोई स्थान नहीं है। जैसे पुरुष अपना मुँह खोलकर चल फिर सकता है, वैसे स्त्री भी खुले मुँह विचरण करती है। वेद का कथन है, ''सुमंगलीरिय वधूरियां समेत पश्यत'' – ''यह मंगल करने वाली वधू है, इसे आकर देखो।''

यूरोप में स्त्री को पुरुष की Better half (उतमार्घ) कहते हैं, परन्तु हमारे यहाँ उसे अर्धांगिनी Equal half कहा गया है। वहां Better half होते हुए भी महिलाओं की यह स्थिति है कि कन्यादान के समय सारा कार्य लड़की का पिता अकेला करता है। वह न तो लड़की का चाचा कन्यादान की विधि तब तक पूर्ण नहीं समझी जाती, जब तक कन्या के पिता के साथ उसकी माता भी यज्ञ वेदी पर नहीं बैठती। जिन लोगों की मर्यादा किसी समय इतनी ऊँची रही हो, उनके यहाँ लड़कियों की शिक्षा तक बंदकर दी जाए, यह समय की ही फेर है, परन्तु इसमें संदेह नहीं कि वैदिक आदर्श में स्त्रियों को स्त्री होने से किसी बात की रूकावट नहीं। पुरुष तथा स्त्री, उच्च तथा नीच, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, सबको राज्य की तरफ से अपनी योग्यता के विकास के लिए समान अवसर मिलना चाहिए, उन्नति का एक जैसा तथा पूरा–पूरा मौका मिलना चाहिए, एक तरफ पुरुष के क्षेत्र में पुरुष चुप रहता है। दोनों अपने–अपने क्षेत्र में काम करे तो वे दोनों एक दूसरे से बढ़कर हैं। फिर भी महिलाओं पर विभिन्न प्रकार की हिंसा की जाती है। हिंसा के अन्तर्गत शारीरिक, मानसिक, दैहिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक एवं लैंगिक है, हिंसा करते समय हिंसक समस्त धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों को त्याग देता हैं। वह मात्र केवल अपनी मानसिक सोच के द्वारा हिंसा का क्रियान्वयन करता है, हिंसा वास्तव में जीवन के लिए एक बाधक है, जिससे महिला की मनोदशा को भयभीत किया जाता है। हिंसा एक विकास के लिए अवरुद्ध का कार्य करती है जो महिलाओं को चेतन से अचेतन बनाती है, उनको उपेक्षा एवं नागण्ड़ता की दृष्टि से देखा जाता हैं जो उनके जीवन के विकास के लिए बाधा है।

महिलाओं एवं उनके हितों की सुरक्षा हेतु सही प्रथा, दहेज की माँग, अनैतिक उद्देश्यों हेतु महिलाओं का व्यापार आदि निन्दनीय सामाजिक व्यवहारों को अपराधों की श्रेणी में रखा गया है एवं निम्न सामाजिक अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डनीय माना गया है।

वर्तमान समय में भौतिकवादी के कारण आज युवक एवं युवतियाँ अपने लक्ष्य से भटक गए है जिस कारण से अधिकतर अपराधिक्य मस्तिष्क के युवक एवं युवतियाँ अपनी शिक्षा को अपूर्ण छोड़कर भावुक जीवन जीने लगे और बौद्धिक एवं नैतिक मूल्य एवं प्रतिमानों से हट गए हैं। जो समयनुसार घरेलू हिंसा का कारण बन जाता है।

आधुनिक समाज में अस्वस्थ पारिवारिक दशा में, पारिवारिक तनाव, महिलाओं के प्रति विद्वेष की भावनाओं में सुधार हो।

- महिला विकास निगम द्वारा संचालित महिला हेल्पलाईन नम्बर 181 महिलाओं के प्रति जागरूक करना होगा।
- पुरुष समाज महिलाओं को गुलामी में ही देखने का आदी है, इसमें सुधार करने की जरूरत हैं।
- जिस दिशा में हम समाज को बढ़ाना चाहता है, वह स्वयं सरल तथा निष्कंटक है, जिन सुधारों को हम समाज में लाना चाहते हैं वे स्वयं आसान है, परन्तु स्त्री समाज को बलपूर्वक अलग रखने के कारण आज निष्कंटक मार्ग कंटकाकीण हो चुके है सरल मार्ग दुर्गम तथा बीहड़ बन चुका हैं जो घरेलू हिंसा का कारण है, उसे सुचार करना होगा।
- भारत का स्त्री समाज अशिक्षित है, वह पुरुष समाज में कर्मण्यता का संचार कैसे करें।
- न्यायालय में वैवाहिक जीवन एवं विभिन्न प्रकार के प्रताड़ना का सामना करने और पति एवं ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाली महिलाओं को कानूनी सहायता एवं आवास की सुविधा मिलनी चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. दैनिक जागरण पटना, 04/01/2021 पेज सं.–12
2. दैनिक जागरण पटना, 11 जून, 2020 पेज सं.–02
3. अंकिता भारद्वाज की रिपोर्ट
4. राष्ट्रीय महिला आयोग वर्ष 2020
5. मंगला अनुजा पत्रकारिता के युग निर्माता हेमंत कुमारी देवी चौधरी, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण 2010, पृष्ठ 78–79 पर उद्धत
6. चारू हिंस, आलोचना 58, अप्रैल–जून 2016 (21) अपूर्वानंद राजकमल प्रकाशन, दिल्ली।
7. सुधा चौहान, मिला तेज से तेज, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद प्रथम संस्करण 1975, पृष्ठ 167–168.

❖◆❖